

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-849/ग्यारह-9(15)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(16)-2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तरप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, विहित करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय राज्य कर के बदले में, निम्नलिखित दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा,--

- (एक) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
- (दो) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलों में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और
- (तीन) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त ऐसे पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 25 के अधीन, किन्हीं निम्नलिखित राज्यों में रजिस्ट्रीकृत हों , के मामले में पचास लाख रुपए होगा, अर्थात्:--

- (एक) अरुणाचल प्रदेश,
- (दो) असम,
- (तीन) मणिपुर,
- (चार) मेघालय,
- (पांच) मिजोरम,
- (छः) नागालैंड,
- (सात) सिक्किम,
- (आठ) त्रिपुरा,



(नौ) हिमाचल प्रदेश :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए अर्ह नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्षक, शीर्षक या अध्याय के अधीन आता है :-

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

स्पष्टीकरण -

- (1) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खण्ड और अध्याय टिप्पणी तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणी भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

